राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला—अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 03/2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0रोडावास बनाम गौरीशंकर पुत्र गणपत दास जाति साधु

नि.रघुनाथपुरा

निर्णय दिनांकः— 06.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम सागरमाला के आराजी खसरा नंबर 31किस्म बा.3 रकबा 1.5775 व 157/63 किस्म बा.3 रकबा 1.9820 है. भूमि पर पड़त कब्जा कर अप्रार्थी ने अतिकमण कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी जरिए वकील उपस्थित हुए। अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का अतिकमण मौजूद है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय रूपनगढ में दायर वाद की प्रति संलग्न की जो उक्त वाद से संबंधित है परंतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त वाद में स्थगन नहीं होने के कारण मामला निर्णित किया जाता है

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी ने संवत 2078 में को ग्राम सागरमाला के आराजी खसरा नंबर 31 किस्म बा.3 रकबा 1.5775 व 157/63 किस्म बा.3 रकबा 1.9820 है. भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर लगान 7.04 का 50 गुणा 352/—रुपये जुर्माना किया जाता है । पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा बाद नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मुहर: कार्यालय नायब तहसीलदार ... (अजमेर))

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या 19 पर रु. 352/- की मांग कायमी की गई।
3/6/22
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
रूपनगढ (अजमेर)

फोटो प्रति प्रमाणित
तहसीलदार
रूपनगढ (अजमेर)

Scanned by CamScanner